

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र आदर्श चवा
प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

चनणाराम पुत्र गुणेशाराम जाति जाट,
निवासी पुनियों की बस्ती, आदर्श चवा
तहसील व जिला बाड़मेर।

1. मुलाराम पुत्र नरसीगाराम 2. जगाराम
पुत्र खरथाराम 3. बागाराम पुत्र खरथाराम
जाति जाट निवासी सणफा मानजी 4.
चैनाराम पुत्र पदमाराम 5. भारूराम पुत्र
पदमाराम 6. मुलाराम पुत्र पदमाराम 7.
लिखमाराम पुत्र पदमाराम 8. नगाराम पुत्र
देवाराम 9. जोगाराम पुत्र देवाराम 10.
डूगराराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी
पुनियों की बस्ती 11. शंकर पुत्र बंसीलाल
12. धोला खां पुत्र तुलसा खां 13. पीरा
पुत्र गफुरा जाति ढाढी निवासी पुनियों की
बस्ती 14. हड़मानराम पुत्र देराजराम 15.
दमाराम पुत्र देराजराम 16. जोगाराम पुत्र
पोकरराम 17. मोटाराम पुत्र तेजाराम 18.
रूपाराम पुत्र तेजाराम 19. नारणाराम पुत्र
नुकलाराम 20. जेहाराम पुत्र नुकलाराम 21.
किशनाराम पुत्र नुकलाराम 22. राउराम
पुत्र खरथाराम जातियान जाट निवासीयान
पुनियों की बस्ती, आदर्श चवा तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या-309/2019 दिनांक-02.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पुनियों की बस्ती, पटवार हल्का आदर्श चवा, भू.अ.
निरीक्षक क्षेत्र चवा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1265/778 रकबा
39.14 बीघा, खसरा नम्बर 1271/1057 रकबा 20 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये
नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नष्ट करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की
जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर
दिनांक- 02/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6503-6506

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चवा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी चनणाराम पुत्र गुणेशाराम जाति जाट, निवासी-पुनियों की बस्ती, आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मूलाराम पुत्र नरसीगाराम वगैराह जाति जाट/ढाढी, निवासी पुनियों की बस्ती, आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर